

## वित्तीय समावेशन एवं गरीबी उन्मूलन

डॉ. सौरभ वर्मा  
असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स विभाग,  
उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

**भूमिका** – विकासशील देशों में हमेशा से ही गरीबी ज्वलनशील मुद्दा रहा है, और इस गरीबी को मिटाने के लिए विकासशील देशों द्वारा वित्तीय समावेशन के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह भारत में भी वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीबों तक पहुंच कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तमाम प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस रिसर्च पेपर में हम अध्ययन करेंगे की भारत सरकार ने भारत में वित्तीय समावेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किए हैं, और अब तक उनका परिणाम क्या रहा है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वित्तीय समावेशन आखिर है क्या? वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे गरीब जनता को सुविधा पूर्वक, सरलता से, कम लागत पर वित्तीय उत्पादों की पहुंच बनाना जिससे उनके जीवन स्तर और सामाजिक स्तर में वृद्धि हो सके।

**परिचय** – वित्तीय समावेशन के द्वारा ऐसे साधनों का विकास किया जाता है जिससे कि गरीब जन तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच प्राप्त हो सके जिससे उनकी गरीबी को दूर किया जा सके अर्थात् गरीब जनता को बैंक द्वारा ऋण दिया जा सके जिससे वे अपना स्वयं का छोटा-मोटा कारोबार कर सकें और अपने जीवन स्तर को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकें। एक समय में भारत की लगभग एक तिहाई जनता गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रही थी परंतु वित्तीय समावेशन के द्वारा सरकार की कोशिशों के बाद आज लगभग कुल जनसंख्या का पांचवा हिस्सा ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। यह सरकार की अच्छी योजनाओं का ही नतीजा है की भारत में गरीबी में कमी आई है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन की शुरुआत 1949 आरबीआई के (जो सभी बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है), राष्ट्रीयकरण के द्वारा की गई थी जिसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद वित्तीय समावेशन की अवधारणा उस समय विशेष प्रचलित हुई जब 2005-6 के अंतर्गत सरकार की नीतियों में इस बात पर बल दिया गया की सभी बैंकों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि कम से कम उनके कार्यक्षेत्रा में एक जिला 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन में आए।

**वित्तीय समावेशन के बारे में कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं**— “वित्तीय समावेशन एक आर्थिक व सामाजिक विकास है जो कम आय वाले ग्राहकों और संस्थानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है” आईएलओ।

डॉ सी रंगराजन जोकि वित्तीय समावेशन कमेटी के चेयरमैन थे ने बताया है कि “कमजोर आय वर्ग को निश्चित समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है।”

वित्तीय समावेशन द्वारा गरीब जनता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और मानव के जीवन स्तर में सुधार होता है। इसी तरह कृषि क्षेत्रा में भी इसके लिए तमाम योजनाएं हैं जिसके द्वारा किसान संपन्न हो सकते हैं। भारत को आजाद हुए 70 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं और इतने वर्षों के पश्चात भी हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है, और इस कारण उनके पास बुनियादी वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इस बात में दो राय नहीं है कि भारत सरकार आरबीआई के साथ मिलकर पिछले लगभग 20 वर्षों से वित्तीय समावेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं और अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं।

“वित्तीय समावेशन केवल बचत बैंक खाता खोलने के बारे में नहीं है इसमें वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना और धन प्रबंधन और ऋण परामर्श आदि देना भी शामिल हैं।” क्रिसिल

**वित्तीय समावेशन की विशेषताएं** – वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीब जनता को बैंक खातों से जोड़ा जाता है। आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने बिना बैलेंस वाले खाते खोलने हेतु सभी बैंकों से अपील की है और इस अपील के कारण वित्तीय समावेशन को 2005 में औपचारिक बैंकिंग नीति के रूप में शामिल किया गया था। वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच निर्धारित करना।
- वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक बैंक खाता खोलना है।
- वित्तीय समावेशन द्वारा सतत विकास का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।
- गरीबों को वित्तीय ज्ञान देकर, उनको बैंक से कम ब्याज दर पर लोन देकर उनको आत्म निर्भर बनाना, और उनके जीवन स्तर को उपर उठाना ही वित्तीय समावेशन का मूल है।

### **वित्तीय समावेशन के लाभ**

- गरीब जनता के खाते खोलकर उनको बचत की आदत डाली जा सकती है जिससे बुरे वक्त में वह बचत उनके काम आए। इसके साथ ही देश की जनता का पैसा बैंकों में रहता है जिससे देश में पूंजी का निर्माण होता है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।
- वित्तीय समावेशन द्वारा गरीब जनता के बैंक में खाते होते हैं इससे उनको मिलने वाले सरकारी लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे उनके खातों में दिए जा सकते हैं, अर्थात् से भ्रष्टाचार में कमी आती है।
- गरीबों को बैंकों के माध्यम से अपना खुद का काम धंधा करने के लिए और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त होता है क्योंकि आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होता है।

**भारत में समावेश का विकास** – पहले बताया गया है कि आजादी के 70 वर्षों के पश्चात भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। सन 1991 में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार करने के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के लिए, परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की जरूरत को पूरा करने के लिए, बैंकिंग उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने का निर्देश दिया। इसीलिए वर्ष 2005 में वित्तीय समावेशन की एक महत्वपूर्ण पहल की गई। भारत में वित्तीय समावेशन के विकास की अवधारणा को चार भागों में बांटा जा सकता है –

1. 1950 से 1970— इस समय में बैंकिंग क्षेत्र में समेकन किया गया और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी, जिसके लिए मजबूत वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकता थी।
2. 1970 से 1990 इस समय के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया गया, इसीलिए इन 20 वर्षों में बैंकों पर बहुत दबाव बढ़ गया।
3. 1990 से 2005— 1990 में औद्योगिक क्रांति हुई और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार किया गया, और उसके बाद संस्थानों की मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस समय में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और बैंकों को मजबूत करने के लिए कई परियोजना शुरू की गई। भारत में वित्तीय समावेशन परियोजना की शुरुआत 2000 में हुई।
4. 2005 से 2015— इस समय में बैंकिंग सेवाओं से बहिष्कृत लोगों को बैंकों से जोड़ने हेतु 2006 में रंगराजन समितियों आदि का गठन किया। 2010 से 2015 के मध्य समय में राष्ट्रीय स्तर पर बृहद वित्तीय समावेशन योजना बनाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के विकास के लिए सभी बैंकों को आगामी 3 साल हेतु योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया गया।

**भारत में वित्तीय समावेशन की सामरिक पहल** — भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के लगभग 58.7 प्रतिशत लोगों तक ही बैंकिंग सेवाओं की पहुंच थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 54.46 प्रतिशत के पास बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 67.6 प्रतिशत लोगों के पास बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध थीं। देश में 2021 में कुल बैंकिंग नेटवर्क 157728 बैंक शाखाओं द्वारा बना है जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 52991 शाखाएं हैं जो कुल प्रतिशत का लगभग 33.6 प्रतिशत है। इसके अलावा सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों से लगभग 1.45 लाख से अधिक कारपोरेट संवाददाता (बीसी) हैं। बीसी बैंकिंग सेवाओं से जुड़े होते हैं और जो बैंकिंग सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे बुनियादी खाता खोलना, नगद जमा एवं नकद निकासी आदि करना है।

वित्तीय समावेशन के प्रथम चरण 2010 से 2013 के मध्य कई खाते खोले गए और व्यापक बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया गया। परंतु वित्तीय समावेशन के लिए अभी भी बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जल्दी में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो बैंक की खराब कनेक्टिविटी, निष्क्रिय बीसी, कम मात्रा में बैंक खाते होने जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

### **भारत में वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदम**

**वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969**— इस दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे कृषि उद्योग, ग्रामोद्योग संस्थान आदि के लिए बैंकिंग प्रणाली में तेजी से वृद्धि हुई।

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण 1974**—प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था जो समावेशी विकास का उद्देश्य था जिसमें कृषि ऋण, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण, कमजोर सामाजिक क्षेत्रों के लिए ऋण, गरीब लोगों के आवास के लिए ऋण आदि शामिल थे।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975**—ग्रामीण लोगों की जरूरत के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

**एस. एच.जी. बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992**— 1992 में असंगठित क्षेत्रा से संबंधित औपचारिक बैंकिंग क्षेत्रा की स्थापना हुई, जोकि सूक्ष्म वित्त हेतु स्वयं सहायता समूह मॉडल था।

**किसान क्रेडिट कार्ड 1998**—यह योजना 1998 में शुरू की गई और इस योजना में किसानों को कम ब्याज पर 50000 से तीन लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है और इसके अंतर्गत फसल बीमा और कार्ड धारक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि भी किया जाता है।

**नो फ्रिल अकाउंट 2004**— वित्तीय समावेशन की दिशा में सार्थक प्रयास के तौर पर गरीब आबादी के लिए 2004 में नो फ्रिल बैंक खाता योजना चलाई गई, इस योजना के अंतर्गत खाताधारक को खाते में कोई भी न्यूनतम रकम रखने की आवश्यकता नहीं थी। यह प्रयास वित्तीय समावेशन की दिशा में सार्थक सिद्ध हुआ।

**वित्तीय समावेशन समिति 2006**— पंचवर्षीय योजना के बीच में ही वित्तीय समावेशन योजना को लागू किया गया और इस योजना में जमा, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय उत्पादों की निगरानी करना प्रस्तावित था।

**बिजनेस कॉरस्पॉण्डेंट और बिजनेस फैंसिलिटेटर मॉडल 2009**— इस योजना के अंतर्गत बैंकों की ओर से बचत और क्रेडिट जैसी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के तौर पर एजेंटों के उपयोग की अनुमति दी गई।

**स्वाभिमान योजना 2011**—इस योजना के अंतर्गत 21 से 30 वर्ष आयु के बेरोजगार युवकों को वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है और उनमें ऐसे कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसमें उनकी रुचि हो जिससे वे आगे चलकर स्थाई रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना में पात्रता के लिए रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय रुपये 200000 से कम होनी चाहिए। इस योजना के लाभान्वित लोगों को प्रत्येक माह के अंत में उनका मानदेय उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

**प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014**— यह सरकार की अति लोकप्रिय योजना रही है जो 20 से 65 वर्ष आयु के लिए है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस वाले खाते खोले जाते हैं और प्रत्येक खाते में रुपये 10000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ-साथ दुर्घटना मृत्यु लाभ, विकलांगता बीमा कवर, टर्म लाइफ कवर और वृद्धावस्था पेंशन आदि शामिल हैं।

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015**— यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है। यह एक बीमा योजना है और इसमें बीमित परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर रुपये 200000 की बीमा राशि परिवार को दी जाती है।

**प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 2015**— असंगठित क्षेत्रा के लोगों को पेंशन का लाभ देने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। इस योजना द्वारा लगभग 1.08 करोड़ खाते खोले गए।

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016**— इस योजना के अंतर्गत फसल पर बीमा योजना का लाभ मिलता है परंतु किसान का केसीसी खाता होना चाहिए।

**प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 2018**— यह योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में गरीबों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किसी भी बीमारी के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है।

**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015**— 2015 में 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बैंक खातों के माध्यम से आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अक्षमता होने पर बीमित व्यक्ति को या उसके परिवार को रूपये 200000 तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2016**— इसके द्वारा सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और इसकी अधिकतम सीमा रूपये 1000000 तक निर्धारित है।

इससे पहले भी कुछ अच्छी योजनाएं चलाई गई थी, जो निम्नलिखित हैं—

**स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999**— इसके अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए स्थाई रोजगार प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई थी।

**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010**— इस योजना के अंतर्गत गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए सतत आजीविका को प्रोत्साहित किया इसके अंतर्गत औपचारिक ऋण और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच आदि का समर्थन किया गया।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005**— मनरेगा के अंतर्गत 2005 में गरीबों के लिए 100 दिनों का रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

**संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001**— इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और ढांचागत विकास आदि पर जोर देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्च के साथ एक योजना शुरू की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रोजगार आश्वासन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त मजदूरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास योजना, आदि को मिलाकर 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, पोषण स्तर में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना था।

**सुकन्या समृद्धि योजना 2015**— बाल कल्याण विकास मंत्रालय के अंतर्गत लड़कियों के लिए खाता खोलने हेतु यह योजना चलाई गई इसमें 8.5 परसेंट की दर से ब्याज दिया जाता है।

**वन रैंक वन पेंशन योजना 2014**— केंद्र सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की गई थी और यह योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी गई। यह योजना रक्षा क्षेत्रा से जुड़ी थी और इस योजना के अंतर्गत एक ही पद पर पहले और बाद में रिटायर हुए सैन्य कर्मियों की पेंशन समान कर दी गई।

**स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया 2016**— यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को उत्प्रेरित करना है और भारत में नवाचार उद्यमिता के लिए एक मजबूत समावेशी परिस्थितिक तंत्रा का निर्माण करना है। इस योजना का लाभ भी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है।

**पहल एलपीजी उपभोक्ता योजना 2013**— इसके अंतर्गत बाजार मूल्य पर एलपीजी प्रदान की गई और उसकी सब्सिडी सीधे बैंकों में भेजी गई।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा 2008 में रंगराजन समिति ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा और उनके प्रस्ताव के आधार पर ही वित्तीय समावेशन बैंकों की शब्दावली में मूलभूत रूप से प्रवेश कर गया। उसके बाद बैंकिंग सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ। बैंकों ने अपनी शाखाओं में वृद्धि की और बैंक कर्मचारियों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। इस योजना के अंतर्गत 2000 से ऊपर की आबादी में एक बैंक शाखा और 2000 से कम आबादी में व्यापार संवाददाता को नियुक्त किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, माइक्रो क्रेडिट, त्वरित बैंक योजना आदि का लाभ दिया गया, इसके अलावा डेबिट कार्ड रूपे लांच किया गया जिसने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में असाधारण प्रदर्शन किया।

आरबीआई ने एसएलबीसी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसएलबीसी को एक गांव गोद लेने का निर्देश दिया जहां 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन लागू किया जाए।

इसके अलावा वित्तीय समावेशन के अभियान को बेहतर बनाने के लिए बैंकों को और ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट कार्ड नेटवर्किंग आदि की सुविधाएं दी गई। इसी के साथ उत्पादों की जानकारी देने हेतु क्रेडिट और वित्तीय साक्षरता केंद्र और परामर्श केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई।

**समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019 से 2024** — इस नीति के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करने के लिए उपभोक्ता को भी वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और सुविधाएं देना आदि शामिल है। यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई और इसमें भारत सरकार के अन्य वित्तीय क्षेत्रा के नियामकों, जैसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, सिक्योरिटी एक्सचेंज आदि के सुझाव शामिल हैं। इसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, कमर्शियल बैंक और कॉरपोरेट बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंस सहित व्यापक विमर्श किया गया। इस नीति के तहत भारत में वित्तीय समावेशन में व्याप्त बाधाओं का विश्लेषण करके उन्हें दूर करके वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों तक पहुंचना शामिल है। इसके अंतर्गत वित्तीय उत्पादों के प्रति लोगों को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान करना और सही उत्पाद चुनने की क्षमता लोगों में

विकसित करना आदि शामिल है। शिकायत निवारण तंत्रा को भी इस योजना में मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

**निष्कर्ष** – अतः हमने देखा की कैसे वित्तीय समावेशन गरीबी को दूर करने में सहायक है और किस प्रकार की योजनाएँ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय समावेशन के विकास हेतु चलाई जा रही हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले और गरीबी को दूर किया जा सके।

### संदर्भ

- [1] Bell, C and Rouseaub, P. L. (2000). Post-Independence India: A Case of Finance-Led Industrialization, Department of Economics Vanderbilt University Nashville.
- [2] Burgess R.Wong G. & Pande, R. (2005). Banking for the Poor: Evidence from India. Journal of the European Economic Association, 3(2/3), 268-278.
- [3] Chakrabarty K.C (2011), “Financial Inclusion and Banks: Issues and Perspectives”, RBI Bulletin, November 2011
- [4] Chattopadhyay, S. K. (2011). “Financial Inclusion in India: A Case study of West Bengal”, RBI Working Paper Series, WPS (DEPR): 8/2011
- [5] Chibba M. (2009). “Financial Inclusion, Poverty Reduction, and the Millennium Development Goals”, European Journal of Development Research
- [6] CRISIL (2018), ‘CRISIL Inclusix: Financial inclusion surges, driven by Jan-Dhan Yojana’.
- [7] Dev, S.M, and Ravi, C. (2007). “Poverty and Inequality: All India and States, 1983-2005”, Economic and Political Weekly, February 10-16, 2007.
- [8] Ford, J. and K. Rowlingson. 1966. “Low-income Households and credit: Exclusion, Preference, and inclusion”. Environment and Planning.
- [9] Hans, V. B. (2006), Towards a Vibrant Indian Agriculture, Kisan World, Vol. 33, No.2, February.
- [10] <http://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016>
- [11] [http://iibf.org.in/iib\\_financeinclusion.asp](http://iibf.org.in/iib_financeinclusion.asp)